Email: cswriavikanagar@yahoo.com दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

Dated 27.06.2017

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Annual Maintenance Contract work for Electricity (HT/LT Lines), Air conditioner and Submersible Motor/Jetpump/Monoblock Motor established** at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.**

Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	SP/contract proposal/2017-18/10
Date and Time for issue/Publishing	28-06-2017, 3.00 PM
Document Download/Sale start date and time	29-06-2017, 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	30-06-2017, 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	11-07-2017, 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	12-07-2017, 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – ₹ 1000/- Earnest money – ₹15000/- Security money – 5-10 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501

Administrative Officer

INSTRUCTIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: https://eprocure.gov.in. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**

2- Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.

3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.

4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.1,000/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

5- The interested Firms are required to deposit (in original) and Earnest Money Deposit (EMD) of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft/FDR from any of the Nationalised Bank **in favour of ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable at SBI, MALPURA** may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

6- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the **Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**

7- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of TIN/TAN Number
4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
5. Scanned copy of D.D. of Tender Fee
6. Scanned copy of D.D. of E.M.D.
7. Any additional required documents mentioned in the Terms and conditions of the Tender
8. Scanned copy of atleast two year relevant work experience in any govt. department
9. Scanned copy of licence issued by Central or State govt. Regarding maintaince of 11000/415 Volt line related electric work.

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 9 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer

<u>निविदा प्रपत्र सूची</u>

संस्थान में स्थापित विद्युत के संचालन व रख–रखाव, ए.सी. व सबमर्सिबल पम्प मोटर/मोनों ब्लॉक मोटर/जेट पम्प इत्यादि के रख–रखाव से संबंधित कार्य को अनुबन्ध

क्र. सं.	कार्य का विवरण	दर प्रति इकाई
1.	संस्थान में स्थापित विद्युत के संचालन एवं रख–रखाव से संबंधित कार्य (कार्य का पूर्ण विवरण नियम र्तो में उपलब्ध है)	दर प्रति माह
2.	संस्थान में स्थापित ए.सी. (अनुमानित संख्या 162 जो कि कम या ज्यादा हो सकती है) के रख–रखाव व मरम्मत से सम्बन्धित कार्य नोट : मजदूरी अलग से देय नहीं होगी।	क. सामान्य सर्विस (साफ–सफाई, आईलिंग काय,लूज कनेक्शन,कटेजले वायर बदलना ए0सी0 में विद्युत सप्लाई चैक करना) चार्जेज प्रति ए.सी.
		ख. फूल गैस रिफलिंग चार्जेज प्रति ए.सी.
		ग. टॉपअप गैस रिफलिंग चार्जेज प्रति ए.सी.
		घ. नया कम्परेसर रिपलेसमेन्ट चार्जेज प्रति ए.सी.
		ड. कम्परेसर रिवाईडिंग चार्जेज प्रति ए.सी.
		च. फेन मोटर रिवाईडिंग चार्जेज (ब्लोअर मोटर, कन्डनसर मोटर) प्रति ए.सी.
		छ. ए.सी. से सम्बन्धित सभी इलैक्ट्रीकल रिपेयर (केपीसीटर (रनिंग), केपीसीटर (स्टांटिंग), रिले, पी.सी. यूनिट एवं रिमोट) प्रति ए.सी.
3.	संस्थान के विभिन्न सेक्टरों पर स्थापित सबमर्सिबल पम्प मोटर/मोनों ब्लॉक मोटर/जेट पम्प इत्यादि के जल जाने/खराब हो जाने की स्थिति में रिपेयरिंग/बाईडिंग से सम्बन्धित कार्य (संस्थान में कुल सबमर्सिबल मोटर 35 है तथा मोनों ब्लॉक मोटर 14 है जो कि कम व ज्यादा हो सकती है।)	सबमर्सिबल पम्प मोटर/मोनों ब्लॉक मोटर/जेट पम्प निकालने व डालने का कार्य
		अ. सबमर्सिबल मोटर बाईन्डिंग 5 एच.पी.–3 पी.एच. 8 व 10 स्टेज
		ब. सबमर्सिबल मोटर बाईन्डिंग 10 एच.पी.–3 पी.एच. 17 स्टेज
		स. मोनों ब्लॉक बूस्टर मोटर बाईन्डिंग 5 एच.पी.–3 पी.एच.
		द. मोनों ब्लॉक बूस्टर मोटर बाईन्डिंग 7.5 एच.पी.–3 पी.एच.

नोटः **1. सबमर्सिबल मोटर व मोनोब्लॉक बूस्टर मोटर की रिपेयरिंग व बाईंडिंग (लेबर मय रिपेयरिंग) के साथ दर प्रति नग प्रस्तुत करें।**
2. एल 1 उपरोक्त सारणी में दर्शाये गये तीनों कार्यो हेतु ओवरआल न्यूनतम दर दाता को माना जावेगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये सभी कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर **संस्थान में स्थापित विद्युत के संचालन व रख–रखाव, ए.सी. व सबमर्सिबल पम्प मोटर/मोनों ब्लॉक मोटर/जेट पम्प इत्यादि के रख–रखाव से संबंधित कार्य** को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्टेक्ट/जॉब कोन्टेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा समय–समय उपरोक्त दर्शाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से कुशलता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्टेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक ————————

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

संस्थान में स्थापित विद्युत के संचालन व रख–रखाव, ए.सी. व सबमर्सिबल पम्प मोटर/मोनों ब्लॉक मोटर/जेट पम्प इत्यादि के रख–रखाव से संबंधित कार्य को अनुबन्ध (जॉब कोन्टेक्ट) के आधार पर करने कि नियम व शर्ते

1. **अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से 01 वर्ष की होगी, लेकिन सक्षम अधिकारी महोदय चाहे तो कार्य की अवधि कम या एक वर्श बढ़ाई जा सकती है।** यदि उक्त अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोशजनक रहा तो अनुबन्ध निचित समय अवधि से पूर्व जमानत राि जब्त कर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
2. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी। साथ ही जो निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगी उसे निरस्त समक्षा जावेगा।
3. ठेकेदार/प्रतिनिधि को अनुबन्ध की अवधि में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान/चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राि जब्त कर ली जावेगी।
4. ठेकदार के पास भारत/राज्य सरकार से विद्युत संबंधी 11000/415 वोल्ट के रख–रखाव कार्य व विद्युत से सम्बन्धित सभी कार्य/रख–रखाव को करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लाईसेन्स होना आवश्यक है बिना लाइसेंस के कोई निविदा स्वीकार नहीं कि जावेगी।
5. ठेकदार को 11000/415 वोल्ट के 1000 के.वी. व इससे अधिक लोड वाले संस्थान/ऐजेन्सी/कम्पनी में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
6. **कार्य कि प्रकृति :** यह विस्तृत अनुरक्षण ठैका परिसर में सिथत सभी नियमित स्थापित विद्युत व्यवस्था के रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु आमंत्रित किया जाता है। ठेके की समायावधि के दौरान निम्न लिखित स्थापित विद्युत व्यवस्था को सही प्रकार से रखना आव यक होगा।

    1. संस्थान के सभी कार्यालय भवनों जैसे– प्र ाासनिक भवन, एन.पी.बी. भवन, टी.एम.टी.सी. भवन, पुस्तकालय भवन, केन्टीन ब्लॉक, अभियांत्रित इकाई, ऑडोटोरियम, क्रीडा भवन, मेन गेट, के.बी. कॉम्पलेक्स, पशु स्वास्थ्य विभाग, मांस विज्ञान, केन्द्रीय/राजकीय विद्यालयों, चिकित्सालय, समाज सदन, अतिथि–गृहों, ॉपिंग कम्पलेक्स, सभी भेड़/बकरी/खरगो ा सैक्टर, सभी पीने के पानी वाले एवं कृषि कार्य में प्रयोग पम्प हाऊसेज, सुरक्षा बिन्दु (घरेलू एवं नोन–घरेलू (N.D.S. & D.S.) आदि (लगभग 5000 बिन्दु) पर विद्युत की व्यवस्था को सुचारू बनाये रखना।
    2. स्टीट (सडकों) लाईट जिसमें फ्लोरोसंट, एच.पी.एस.वी., एच.पी.एम.वी.,एच.पी. एवं सी.फल.एल., लाईटें ाामिल हैं (लगभग 250 बिन्दु) का रख–रखाव करना।
    3. लगभग 250 आवासीय मकानो की विद्युत रख–रखाव कार्य (लगभग 250 बिन्दु)।
    4. 25 KVA से 160 KVA तक क्षमता वाले बाहरी सब स्टे ान–कम–वितरण टान्सफामर्स, लगभग 11 KVA/415 वोल्ट्स वाले 12 स्टे ान (बाइन्डिंग संस्थान की होगी) का रख–रखाव करना।
    5. 11 KV 415 वोल्ट्स LT वाले लगभग 30 किलोमीटर लम्बाई वाली ओवर हैड लाईन का रख–रखाव करना।
    6. 5 HP एवं 2 INCH GI discharged क्षमता वाले लगभग 16 पम्प एवं 4 बूस्टर पम्प सेट्स के बिजली बोर्डो/पेनल का रख–रखाव।
    7. सस्थान में स्थित 385 केवीए के दो जेनेटर, 160 केवीए का एक जेनेटर तथा 12 केवीए के दो जेनेटर सेटों का प्रतिदिन रख–रखाव व संचालन हेतु कु ाल संचालक 24 घण्टे उपलब्ध करवाने होंगे।

7. **ाकायत दूर करने/निवारण के लिये अनुरक्षण स्टॉफ उपलब्ध कराना/लगाना :**
    अ) सम्पूर्ण परिसर में आव यक विद्युत आपूर्ति बनाए रखने हेतु उपकेन्द्रों (Sub-stations), ओवर हेड लाईन्स, पम्पस आदि एवं विद्युत सम्बन्धी ाकायतों के निवारण करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि की होगी ।
    ब) स्टीट लाईट, कार्यालय भवनों एवं प्रयोग ाालाओं में आव यक विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु एवं विद्युत संबंधी ाकायतो के निवारण करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि की होगी।
    स) आवासीय भवनों के रख–रखाव एवं विद्युत संबंधी ाकायतो के निवारण करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार प्रतिनिधि की होगी।
    द) ठेकेदार द्वारा एक बिन्दु अस्तित्व वाली लाईन के बारे में संस्थान के अभियांत्रिक प्रभारी के साथ समन्वय एवं उपर्युक्त ठेका का पर्यवक्षण हेतु एक पर्यवक्षक उपलब्ध कराना।
8. **कार्य क्षैत्रः वार्षिक अनुरक्षण ठेकेदार को ाकायत निवारण के अतिरिक्त निम्न लिखित अनुरक्षण /निर्धारित कार्य भी करने होगें:**
    1. सभी LT पेनल्स का उचित रख–रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
    2. सभी मुख्य बोर्डो का उचित रख–रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
    3. सभी उप–मुख्य बोर्डो का उचित रख–रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
    4. सभी डीबी का उचित रख–रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
    1. अर्थ सेट्स की जांच करना (एक वर्ष में एकबार)।
    6. सभी मुख्य बोर्डो, उप मुख्य बोर्ड एवं डीपी में अर्थ निरन्तरता की जांच करना (एक वर्ष में एक बार)।
    7. पोल (खम्भों) की पुताई एवं चिन्हित करना (एक वर्ष में एक बार)।
    8. सभी प्रकार की फिटिंग की साफ–सफाई करना (एक वर्ष में ओसतन चार बार)।
    9. HT/LT ओवर हेड लाईट लाईन को कसना/सेग (sag) की जांच करना (एक वर्ष में एक बार)।
    10. HT/LT ओवर हेड इन्सूलेटर की जांच करना एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
    11. HT/LT की क्रास आर्म्स/स्टटे आर्म्स इन्सपेक्सन एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।

12. ट्रान्सफामर्स का ऑयल लीक, ऑयल की स्तर, कनैक्सन, साफ–सफाई, अर्थिंग आदि की जांच एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
13. GO स्विच की जांच एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
14. HT/LT जम्फर कनैक ान का इन्सपैक ान एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में एक बार)।

9. उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान में नवनिर्मित भवनों का रख–रखाव व रिपेयरिंग कार्य भी करना होगा।
10. संस्थान में खोदे गये ट्यूबवेलों 4 नग जो कि ई.टी.ओं 11 के पास, ई.टी.ओं.14 के पास, कोपरेटीव स्टोंर के पास और सेक्टर नं.9 के सामने वाली सड़क के पास स्थित है का विद्युत रिपेयरिंग रख–रखाव करना होगा।
11. यह कार्य भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये बिजल आपूर्ति अधिनियम/नियमों के अनुसार किया जावेगा।
12. इस कार्य में विद्युत अनुरक्षण एवं ब्रेक डाऊन/वर्तमान में स्थापित विद्युत व्यवस्था मरम्मत एवं रख–रखाव कार्य सम्मलित है।
13. इस कार्य में आंतरिक स्थापित विद्युत व्यवस्था की आव यकतानुसार सामान्य मरम्मत एवं रख–रखाव कार्य सम्मलित है।
14. **ठेकेदार को संस्थान परिसर में प्रभारी विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग/प्रतिनिधि द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर विद्युत कार्य से सम्बन्धित िकायत पंजिका/लॉग बुक रखनी होगी।**
15. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अलग से एक कार्य डायरी रखनी होगी जिसमें सम्बन्धित िकायतकर्ता/प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग से कार्य संबंधी िकायत दूर करने पर हस्ताक्षर करवाने होंगें।
16. ठेकेदार को संस्थान में विद्युत के रख–रखाव हेतु 3 िफ्ट में कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा।
17. ठेकेदार को संस्थान में नियुक्त प्रतिनिधियों के अवका ा पर रहने कि स्थिति में रिलिवर के तौर पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी ताकि िफ्ट में कर्मचारियों कि कमी नहीं हों।
18. ठेकेदार को प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग द्वारा बताये गये कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय में पूर्ण करना होगा।
19. प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग द्वारा आवश्यकतानुसार कार्य करने के समय में परिवर्तन किया जा सकता है जिसे ठेकेदार को मानना होगा। साथ ही ठेकेदार को 24 घंटे सेवा देनी होगी।
20. **रख–रखाव हेतु सभी कार्य सामग्री (फ्यूज वायर, इन्शुलेशन टेप, स्क्रूज, टेप, सेंडल, लकडी की गट्टी, चैकनट्स, वाशर, सेन्ड, सीमेंन्ट एवं टेस्ट लेम्प आदि को छोडकर) संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावेगी तथा जारी की गई सामग्री के प्रयोग में लेने एवं हिसाब हेतु शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर लेना आवश्यक होगा।**
21. कार्य स्थल तक सामग्री ले जाने के लिये साधन की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी तथा संस्थान द्वारा कोई साधन उपलब्ध नही करवाया जावेगा।
22. चूँकि संस्थान परिसर बड़े क्षैत्र में फैला हुआ है अतः ठेकेदार/उनके प्रतिनिधियों को विद्युत सम्बन्धी शिकायतों के निराकरण करने हेतु आने व जाने के लिये उचित परिवहन/साधन स्वयं ठेकेदार को उपलब्ध कराना होगा। संस्थान द्वारा कोई साधन उपलब्ध नही करवाया जावेगा।
23. परिवहन साधन की अनुलब्धता के कारण बिजली की आपूर्ति एवं शिकायत दूर करने में देरी स्वीकार्य नही होगी यदि समय पर शिकायत का निराकरण नही होता है तथा संस्थान को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो परिस्थिति अनुसार उचित निर्धारित हर्जाना (दण्ड) ठेकेदार से वसूल किया जावेगा या ठेकेदार के देय बिल मे से कटैती की जावेगी।
24. ठेका समयावधि के दौरान जेवीवीएनएल से बिजली आपूर्ति बंद करने एवं पुनः आपूर्ति चालू करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा। इसके लिये ठेकेदार को उचित अभिलेखन/रिकार्ड रखना होगा तथा ठेका समाप्त होने पर प्रभारी, उपकरण/विद्यूत अनुभाग को सौपना होगा।
25. शिकायत दूर करने के लिये जारी एवं लगाई जाने वाली सामग्री एवं टूटी हुई वापिस प्राप्त की गई सामग्री का विस्तृत विवरण ठेकेदार को रखना होगा।
26. शिकायत निवारण के समय खराब/टूटी/बेकार सामग्री होने पर ही बदली जावेगी तथा सामान को बदलने के उपरान्त शिकायतकर्ता से लगाये गये सामान की रसीद प्राप्त करनी होगी। यदि खराब सामग्री उपलब्ध नही है इस स्थिति में प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग से खराब सामग्री उपलब्ध नही होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही बदली जायेगी।
27. भवनों में स्थित विद्युत संबंधी सम्पति की सूची विद्युत अनुभाग द्वारा ठेकेदार के हस्ताक्षर लेने के बाद दी जायेगी तथा वार्षिक अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार द्वारा सम्पति की सूची विभाग को संभलवानी होगी। किसी भी प्रकार का नुकसान एवं कमी होने पर उसकी कीमत ठेकेदार से वसूली की जायेगी।
28. शिकायतों को 24 घंटे के अन्दर–2 दुरस्त करना होगा। कोई भी शिकायत बिना कारण/स्वीकृति के लम्बित नही रखी जावेगी। यदि समय पर शिकायत का निराकरण नही होता है तथा संस्थान को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो परिस्थिति अनुसार उचित निर्धारित हर्जाना (दण्ड) ठेकेदार से वसूल किया जावेगा या ठेकेदार के देय बिल मे से कटोती की जावेगी।
29. यदि ठेकेदार या उनके प्रतिनिधि बिना प्रभारी की आज्ञा के कार्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाते है एवं विद्युत से सम्बन्धित कोई अति–आवश्यक शिकायत प्राप्त होती हैं तथा उसका निराकरण संस्थान के स्थाई कर्मचारी से करवाया जाता है तो उस कर्मचारी के वेतन के अनुसार ठेकेदार के देय बिल मे सें उस राशि की कटौती की जावेगी अथवा ठेकेदार को दी जाने वाली राशि से (कार्य के लिये दिए जाने वाले शुल्क का दोगुना) कटौती की जायेगी। यह कटौती ठेकेदार का कार्य सन्तोष–जनक नही रहने एवं कार्य पर अनुपस्थित होने की दशा में भी की जायेगी।
30. रख–रखाव में फिटिंग एसेसरीज एवं फिक्चर्स को बदलना भी शामिल हैं। पंखों/फिटिंग्स/सब–स्टेशन एरिया की सफाई भी इस ठेके में शामिल हैं।
31. आवश्यकता पडने पर पेडों की छंगाई/ओवर हेड लाईन पर लटकने वाली टहनियों को हटाना भी इस ठेके के अन्तर्गत करना होगा।
32. ठेकेदार को रख–रखाव की निरंतरता बनाए रखने के लिये यदि प्रतिनिधि अनुपस्थित रहता हैं तो उसके स्थान पर तुरंत प्रभाव से एवजी उपलब्ध कराना होगा। ऐसा नही करने पर संस्थान द्वारा ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि की दुगनी कटौती की जाएगी। इस प्रकार की घटना बार–2 होने पर बडा दण्ड लगाया जायेगा जिसमें ठेका समाप्त भी किया जा सकता हैं।

33. ठेकेदार को अपने टूल्स एवं टेकल्स जिसमें वर्किंग टूल्स, ओ एच लाईन पुलर, 30 फीट लम्बी सीढी, HT/LT प्रोटेक्शन गियर, कार्शन बोर्ड, लाईन अर्थिंग गीयर, मैगर्स, क्न्टीन्यूटी चैकर्स, टार्च लाईट इत्यादि यह सभी ठेकेदार को रख–रखाव हेतु नियुक्त वायर मेन/लाईनमेन/इलेक्ट्रिशियन कार्यस्थल पर ही उपलब्ध कराना होगा जिसके लिए कुछ भी अतिरिक्त देय नही होगा।
34. किसी भी शिकायत को बिना उचित कारणों के 24 घंटें के अन्दर दुरस्त नहीं करने पर 100 रूपये प्रति शिकायत प्रति दिन के हिसाब से दण्डात्मक कटौती की जाएगी।
35. संस्थान में स्थापित विद्यूत इकाईयों को चालू/साफ एवं अच्छी स्थिति में रखने तथा धूल एवं कीडों आदि से बचाने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
36. ठेकेदार को संस्थान परिसर में विद्युत आपूर्ति संबंधी अभिलेखन रखना होगा।
37. ठेकेदार द्वारा विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु किसी भी बाल श्रमिक को कार्य पर नही लगाया जाएगा।
38. ठेकेदार द्वारा बिना वैधानिक लाइसेंस वाले प्रतिनिधियों को विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु नही लगाया जाएगा।
39. विद्युत इकाईयों में कोई भी खराबी आने पर उसे तुरन्त प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग को सूचित करना हेगा ऐसा नही करने पर ठेकेदार स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा तथा उस खराबी अपने स्तर एवं खर्च पर दूर करना होगा। ईकाई को गलत ढंग से चलाने के कारण खराबी आने पर ठेकेदार द्वारा उसे अपने स्तर एवं खर्च पर दूर करना होगा।
40. ठेकेदार द्वारा पानी के पम्पों, ट्रांसफार्मर्स, HT/LT स्विच गियर, HT/LT ओवर हेड लाईन्स, मैन बोर्ड, डीबी इत्यादि का सुरक्षात्मक रख–रखाव करना होगा।
41. **ट्रांसफार्मर्स से वर्ष में एक बार आयल निकालना एवं अच्छा आयल डालने का कार्य भी ठेकेदार को करना हेगा जिसके लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जाएगा। आयल संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।**
42. **अनुरक्षण के लिए आवश्यक सामग्री जैसे– बल्ब, ट्यूब, स्टार्ट, एसेसरीज, तार, इन्सूलेटर सिवच इत्यादि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए जाएगें जिनके उपभोग एवं भंडार को लौटाई गई खराब सामग्री का पूरा विवरण ठेकेदार को रखना होगा।**
43. स्ट्रीट लाईट, ओ एच लाईट इत्यादि के लिये सीढी एवं सभी टी एवं पी ठेकेदार द्वारा लानी होगी। सफाई हेतु सभी सामग्री भी ठेकेदार द्वारा लानी होगी।
44. ठेकदार द्वारा वार्षिक अनुरक्षण के लिए उनके प्रतिनिधियों आदि को वर्दी/जूते/नाम पट्टिका आदि पहनाना होगा।

<u>सस्थान में वातानुकूल स्पील्ट ए.सी. व विन्डो ए.सी. के रख–रखाव से सम्बन्धित कार्य की नियम व शर्तेः–</u>

45. अनुबन्ध की अवधि के दौरान संस्थान के सभी कार्यालय भवनों, विभिन्न विभागों/अनुभागों, लेबोरेटी तथा अतिथिगृह, ऑडोटोरियम में लगे लगभग 162 ए.सी. के रख–रखाव व मरम्मत का कार्य करना होगा। संस्थान में स्थिापित ए.सी. की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है तथा नये क्रय किये जाने वाले ए.सी. भी ए.एम.सी. में सम्मलित होंगें। साथ ही मरम्मत के दौरान लगने वाले सभी प्रकार के सामान, औजार जैसे – गैस चार्ज करने के औजार, सीड़ी, चोपाचा स्टूल, रस्सा व अन्य टूल्स स्वयं अनुबन्धकर्ता के होंगे।
46. अनुबन्धकर्ता को उक्त प्रयोजनार्थ विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग में शिकायत पंजिका रखनी होगी तथा किसी भी विभाग/अनुभाग से शिकायत दर्ज किये जाने पर प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग/प्रतिनिधि के निर्देशानुसार शिकायत का निवारण 24 घण्टे के भीतर भीतर करना होगा अन्यथा नियमानुसार कटौती की जावेगी। साथ ही शिकायत निवारण के उपरान्त वर्क डायरी में संबंधित अधिकारी से कार्य संतोषजनक पूर्ण किये जाने संबंधि टिप्पणी अंकित करवाते हुये हस्ताक्षर करवाकर लाने होंगें जिसे प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग/प्रतिनिधि को दिखाना होगा।
47. सभी ए.सी. की सामान्य सर्विस व साफ–सफाई वर्ष में एक बार करनी होगी।
48. गारन्टी/वारन्टी अवधि में आने वाले नये ए.सी. प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग/प्रतिनिधि के निर्देशानुसार ही ठीक करें।
49. ए.सी. से सम्बन्धित सभी कार्य (सर्विस/मरम्मत/पार्ट्स बदलना इत्यादि) प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग/प्रतिनिधि के निर्देशन में करने होंगें। अथार्त कार्य का भुगतान संबंधित प्रभारी एवं प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग द्वारा कार्य की संतोषजनक पूर्णता/सत्यापन के उपरान्त बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर दिया जावेगा।
50. अनुबन्धकर्ता को 24 घण्टे सेवा देनी होगी। साथ ही अनुबन्ध कार्य पर रखे जाने वाले कार्मिक अनुभवी व सम्बन्धित कार्य में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट धारी होने चाहिए।
51. शिकायत निवारण हेतु कार्य स्थान तक सामान को लाने व ले जाने की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी। संस्थान द्वारा किसी प्रकार की परिवहन व्यवस्था/साधन उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा।
52. परिवहन साधन या मरम्मत कार्य में प्रयुक्त औजार (टूल्स) आदि की अनुपलब्धता के कारण शिकायत निवारण दूर करने में देरी स्वीकार्य नहीं होगी। यदि समय पर शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है तथा संस्थान का किसी प्रकार का नुकसान होता है तो परिस्थिति अनुसार उचित निर्धारित हर्जाना अनुबन्धकर्ता से वसूल किया जावेगा अथवा बिल में कटौती की जावेगी।
53. किसी भी प्रकार के नुकसान के लिये अनुबन्धकर्ता जिम्मेदार होगा तथा नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता को नकद अथवा उनके देय बिल से की जावेगी।

<u>सबमर्सिबल मोटर/मोनों ब्लॉक बूस्टर मोटर की मरम्मत एवं रख–रखाव संबंधि नियम व शर्ते :</u>

54. अनुबन्धकर्ता को संस्थान परिसर में विभिन्न सेक्टरों पर लेगे सबमर्सिबल मोटर/मोनों ब्लॉक बूस्टर मोटर/जेट पम्प की मरम्मत का कार्य करना होगा। संस्थान में वर्तमान में 35 सबमर्सिबल मोटर व 14 मोनों ब्लॉक बूस्टर मोटर उपलब्ध है तथा इनकी कम या ज्यादा हो सकती है।
55. अनुबन्ध की अवधि में खराब होने वाले पम्पों को ठीक करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी तथा शिकायत दर्ज होने के 24 घण्टे के भीतर–भीतर पम्प को ठीक करने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।

56. उपरोक्त से सम्बन्धित सभी कार्य (मरम्मत/मोटर बाइंडिंग इत्यादि) प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग/प्रतिनिधि के निर्देशन में करने होंगें। अथार्त कार्य का भुगतान संबंधित प्रभारी एवं प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग द्वारा कार्य की संतोषजनक पूर्णता/सत्यापन के उपरान्त बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर दिया जावेगा।
57. अनुबन्धकर्ता को 24 घण्टे सेवा देनी होगी। साथ ही अनुबन्ध कार्य पर रखे जाने वाले कार्मिक अनुभवी व सम्बन्धित कार्य में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट धारी होने चाहिए।
58. शिकायत निवारण हेतु कार्य स्थान तक सामान को लाने व ले जाने की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी। संस्थान द्वारा किसी प्रकार की परिवहन व्यवस्था/साधन उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा।
59. परिवहन साधन या मरम्मत कार्य में प्रयुक्त औजार (टूल्स) आदि की अनुपलब्धता के कारण शिकायत निवारण दूर करने में देरी स्वीकार्य नहीं होगी। यदि समय पर शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है तथा संस्थान का किसी प्रकार का नुकसान होता है तो परिस्थिति अनुसार उचित निर्धारित हर्जाना अनुबन्धकर्ता से वसूल किया जावेगा अथवा बिल में कटौती की जावेगी।
60. किसी भी प्रकार के नुकसान के लिये अनुबन्धकर्ता जिम्मेदार होगा तथा नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता को नकद अथवा उनके देय बिल से की जावेगी।
61. ठेकेदार/प्रतिनिधि को प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग से सम्पर्क रखकर विद्युत, ए.सी. व सबमर्सिबल मोटर से संबंधित शिकायत दूर करने के लिए समन्वय, नियंत्रण एवं पारस्परिक सम्पर्क कराना होगा।
62. विद्युत इकाईयों के अनुरक्षण संबंधी बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा संतोषजनक कार्य करने पर प्रभारी अभियांत्रिक को प्रति माह बिल (तीन प्रतियों में) प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान मासिक आधार पर नियमित समय पर किया जाएगा।
63. ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार विवाद होने पर निदेशक, केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर का निर्णय अंतिम होगा जिसे ठेकेदार द्वारा मान्य होगा। ठेकेदार द्वारा वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध को लेने से पूर्व इस पर अपनी सहमति देनी होगी।
64. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय रोजाना प्रभारी, अभियांत्रिक से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दिशा–निर्देशानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नही होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
65. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
66. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
67. कार्य अवधि में अनुबन्धकर्ता के श्रमिक/म ीन को किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा अनुबन्धकर्ता स्वयं पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा। साथ ही संस्थान द्वारा किसी प्रकार का क्लेम नहीं दिया जावेगा। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अव यक करवा लें।
68. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले सं ोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार सेवाकर/आयकर (Service Tax/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज रा ि की भी कटौती की जावेगी।
69. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
70. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आव यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
71. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति रा ि नही दी जावेगी।
72. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 6 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि को जब्त कर लिया जावेगा।
73. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
74. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदे ाक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
75. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्टेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्टेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
76. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदे ा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
77. सफल ठेकेदार को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
78. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

79. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in पर उपलब्ध है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने निविदा प्रपत्र में द ार्यी गई सभी ार्ते भली प्रकार से पढ़ली है तथा मुझे स्वीकार्य है। मैं संलग्न निविदा प्रपत्र में द ार्यी गई दरों पर संस्थान में स्थापित विद्युत के संचालन व रख–रखाव, ए.सी. व सबमर्सिबल पम्प मोटर/मोनों ब्लॉक मोटर/जेट पम्प इत्यादि के रख–रखाव से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/जॉब कोन्टेक्ट के आधार पर करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का पता

माबाईल नं.